फर्द अहकाम

न्यायालय — उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

धीरज वर्मा बनाम चन्द्रा वर्मा

मुकदमा संख्या/वर्ष : 89/2018

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
	07/05/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप पत्रावली के पेश। पत्र वकील प्रार्थी द्वारा संशोधित वाद पत्र पेश किया गया। जिसकी प्रार्थना निरस्त की किया गया। लेकिन सहायक कलेक्टर शीट में संशोधित उनवान लिखा गया जिसकी इजाजत दिया जाता है। पत्रावली में अप्रार्थीगण अनुपस्थित अप्रार्थीगण को बार-बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया लेकिन उप वकील। अतः अप्रार्थीगण सं0 01 लगायत 28, 30, 32, 33 के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पत्रावली के वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः इस न्यायालय प्रार्थना पत्र में आज्ञा निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 08/08/18 को मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक कायम किया जाता है। नियमित आज सही इजलास सुनाया गया। पत्रावली पेश मिल मुसद्दर होकर नस्तीबद्ध कर दी तथा वाद मूल के लिये पत्रावली हमकिता रहे।	

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़